

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, अतिक्रमण वाद सं०- 02/सन-2024- 25

(झारखण्ड राज्य बनाम् प्रवीण सिंह एवं अन्य)

केस का प्रकार - अतिक्रमण वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																																									
1	2	3																																									
30.05.2025	<p style="text-align: center;"><u>—:आदेश: —</u></p> <p>यह अतिक्रमण वाद अभिलेख सं०- 02/2024- 25 (झारखण्ड राज्य बनाम् प्रवीण सिंह एवं अन्य) मनोज राम, पूर्व मुखिया, उत्तरी डोरण्डा एवं अन्य ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 09, श्री नरेश राम के द्वारा अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से दिए गए जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संधारित किया गया है।</p> <p>शिकायत के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 09 श्री नरेश कुमार ने अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से प्रतिवेदित किया है कि अंचल- धनवार अन्तर्गत मौजा- डोरण्डा, थाना नं०- 15 के खाता सं०- 249, प्लॉट नं०- 2552, रकबा- 01.02 ए० भूमि गैरमजरूआ खास किस्म जमीन परती कदीम दर्ज है। प्रतिवेदन के आलोक में विविध वाद सं०- 15/2023 - 24 के तहत अभिलेख खोलकर वादीगणों को पक्ष रखने हेतु वादीगणों को नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>सुनवाई के दौरान 20.06.2024 को अभिलेख के अवलोकन तथा आवेदकगणों के बयान से संतुष्ट होकर राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 09 श्री नरेश कुमार/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, धनवार को वादगत भूमि का अतिक्रमण प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।</p> <p>निर्देश के अनुपालन में राजस्व उपनिरीक्षक, हल्का सं०- 09 श्री नरेश कुमार/अंचल अमीन/अंचल निरीक्षक, धनवार ने नक्शा सहित उपरोक्त वादगत भूमि का अतिक्रमण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया है। प्रतिवेदन अनुसार उक्त भूमि निम्नलिखित व्यक्तियों एवं निम्न प्रकार से अतिक्रमण किया है : -</p> <table><tr><th>क्र० सं०</th><th>नाम</th><th>पिता का नाम</th><th>ग्राम (निवासी)</th><th colspan="6">अतिक्रमण भूमि का विवरण</th><th>अतिक्रमण का प्रकार</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th>मौजा</th><th>थाना नं०</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट नं०</th><th>रकबा</th><th>किस्म</th><th></th></tr><tr><td>1.</td><td>प्रवीण सिंह</td><td>तुलसी नारायण सिंह</td><td>ग्राम- डोरण्डा, पो०-</td><td rowspan="3">डोरण्डा</td><td rowspan="3">15</td><td rowspan="3">249</td><td rowspan="3">2552</td><td rowspan="3">1.02 ए०</td><td rowspan="3">मकान 16 सहन 10</td><td rowspan="3">घोरान घेर कर खेती - बारी एवं पक्का मकान तथा खपरैल मकान</td></tr><tr><td>2</td><td>पवन सिंह</td><td>तुलसी नारायण सिंह</td><td>डोरण्डा, थाना- घोड़थम्मा</td></tr><tr><td>3</td><td>चन्द्रनारायण सिंह</td><td>झरी सिंह</td><td>ओ० पी०, जिला- गिरिडीह</td></tr></table> <p>अंचल अमीन, धनवार ने मापी प्रतिवेदन में अतिक्रमण की पुष्टि की है।</p> <p>प्रतिवेदन के आलोक में झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत विहित प्रपत्र में वादीगणों को नोटिस निर्गत कर पक्ष रखने को कहा गया।</p> <p>प्रथम पक्ष/वादी ने निम्न प्रकार से अपना पक्ष रखा है: -</p> <ol style="list-style-type: none">That the present proceedig against the member of opposite party is not maintainable eithte in the eye of law or facts or circumstances case and is fit to be dropped.That the abovesaid petitioner has legal and vaild ground to file the above noted case.That Section 03 of the Bihar (Jharkhand) Public Land Encroachment Act. 1956 is not at all maintainable in present proceeding . The Opposite party memebers placed upon the judgement passed by Ld, Deputy Commissioner Ramgarh , District - Ramgarh Jharkhand in the case of "	क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम (निवासी)	अतिक्रमण भूमि का विवरण						अतिक्रमण का प्रकार					मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा	किस्म		1.	प्रवीण सिंह	तुलसी नारायण सिंह	ग्राम- डोरण्डा, पो०-	डोरण्डा	15	249	2552	1.02 ए०	मकान 16 सहन 10	घोरान घेर कर खेती - बारी एवं पक्का मकान तथा खपरैल मकान	2	पवन सिंह	तुलसी नारायण सिंह	डोरण्डा, थाना- घोड़थम्मा	3	चन्द्रनारायण सिंह	झरी सिंह	ओ० पी०, जिला- गिरिडीह	
क्र० सं०	नाम	पिता का नाम	ग्राम (निवासी)	अतिक्रमण भूमि का विवरण						अतिक्रमण का प्रकार																																	
				मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा	किस्म																																		
1.	प्रवीण सिंह	तुलसी नारायण सिंह	ग्राम- डोरण्डा, पो०-	डोरण्डा	15	249	2552	1.02 ए०	मकान 16 सहन 10	घोरान घेर कर खेती - बारी एवं पक्का मकान तथा खपरैल मकान																																	
2	पवन सिंह	तुलसी नारायण सिंह	डोरण्डा, थाना- घोड़थम्मा																																								
3	चन्द्रनारायण सिंह	झरी सिंह	ओ० पी०, जिला- गिरिडीह																																								

Ramesh saluja Vs. Anita devi, vide case no. 02/2012 date 29-11-2013, whereby placing reliance upon last para of aforesaid judgement and passing order in a jamabandhi case has no right to give a declaration of right and title in favour of one or other person nor can declare sale deed as illegal or inoperative which can only be declared by civil court of competent jurisdiction.

it is important to mention here that in another case has placed reliance upon the judgement passed by the Hon'ble Jharkhand High court Ranchi vide case no L.P.A. 236/2019 With I.A the state of Jharkhand dated 15-12-2021 whereby rent receipt has been issued in favour of the private respondents, he can get his right, title and interest adjudicated through a competent court of civil jurisdiction.

4. That present proceeding has been started in respect of land measuring of the land of area of area 1.02 acres of khata no. 249, plot no. 2552 area 1.02 acres is the subject matter of the aforesaid case Recorded tenant Landlord Tikait Dalip Narayan Singh and his legal heirs have been in khas physical possession over the land. 5. That this answering O.P. begs to submit that Section 03 of the Bihar (Jharkhand) Public Land Encroachment Act, 1956 is not at all maintainable in homestead or intermediaries to be retained by them as tenants 1. with effect from the date of vesting all homesteads comprised in an estate or tenure and benign in the possession of (an intermediary) on the date of such vesting shall subject to the provisions of sections 7A and 7B be deemed to be settled to retain possession of the state with such intermediary and he shall be entitled to retain possession of the land comprised in such homesteads and to hold it as a tenant under the state free of rent,

That this answering O.P. begs to submit his OP(s) is not stranger in aforesaid plot As Landlord Dalip Naryan Singh was the ancestor i.e. grand grandfather of the opposite party members.

6. That several decisions given by Hon'ble High courts and Supreme Court that Section 3 of the Bihar (Jharkhand) Public Land Encroachment Act, 1956 is not applicable over the land over where house is situated and KHATIYAN HAS CLEARLY EXPLAINED IN KHATA NO. 249, PLOT NO. 2552, AREA 1.02 ACRES HAS MAKAN 16, SHAHAN 10,

In this regard this OP again begs house submit that A.A. himself in this regard and found that house and boundary wall is situated over the land in present proceeding not only this, photocopy of suit land and house has been attached.

7. That other submission or submissions will be urged at the time of hearing of the time or hearing of this case.

it is therefore, prayed that your Honour may kindly be pleased to drop the present proceeding by passing order in favour of the Opposite parties against the petitioner with heavy cost.

सुनवाई के दौरान दिनांक- 23.12.2024 को प्रथम पक्ष/वादीगण अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। वादीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादीगणों के पूर्वज के नाम से वाद में वर्णित भूमि का खतियान है खतियान की छायाप्रति पेश की गई है। खतियान की छायाप्रति तथा सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। मौजा- डोरंडा /15 अंतर्गत खाता सं0-249, प्लॉ सं0 -2552, रकवा -1.02 एकड़ भूमि का किस्म दर्ज खतियान में मकान 16/सदन 10 दर्ज है। इस आधार पर उनका दावा है कि वादीगणों के पूर्वज उक्त भूमि पर मकान /सहन बनाकर दखलकार थे। खतियान के कैफियत कायम में पेड़ों के बारे में बकबजे मालिक दर्ज है। लगान पान वाले का नाम टिकैत दलीप नारायण सिंह दर्ज है। इस आधार पर उन्होंने BPLE Act 1956 की धारा 3 उक्त भूमि पर लागू नहीं होने संबंधी बात कही है।

विज्ञ अधिवक्ता के बातों को सुना। खतियान का अवलोकन किया। विज्ञ अधिवक्ता से उक्त भूमि पर दखल-कब्जा तथा जमाबंदी/लगान रसीद आदि के बारे में पूछने पर बताया गया कि कंडिका सं0-05 में उक्त का पक्ष वर्णित है। कि Homestead Land (गृह/मकान भूमि) पर लगान नहीं लिया जाना है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि की जामबंदी/लगान रसीद का कोई साक्ष्य उनके पास उपलब्ध नहीं है।

पुनः सुनवाई के दौरान दिनांक- 07.01.2025 को प्रथम पक्ष/वादीगण अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। वादीगणों के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि वादी ने अपने विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से 02 (दो) कागजात यथा (1) copy of judgement by the Ld Deputy Commissioner, Ramgarh, Jharkhand तथा (2) copy of judgement by Hon'ble Jharkhand High Court at Ranchi 05/ dated 15.12.2021 (Abdul Majid Khan vs State of Jharkhand & ors) की छायाप्रति पेश की है।

विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से वादीगणों दिनांक- 20.01.2025 को उपस्थित हो पूरक कारण पृच्छा दाखिल किया। जिसका अवलोकन के पश्चात पाया गया कि उक्त पूरक कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं है बल्कि पूर्व में दिनांक- 23.12.2024 को दाखिल किए गए कारण पृच्छा की प्रति है।

दिनांक- 05.02.2025 को विज्ञ अधिवक्ता ने वादीगणों के ओर से उपस्थित होकर कहा है कि वादगत भूमि का खतियान वादीगणों के पूर्वज के नाम से है तथा वादगत भूमि पर वादीगणों का वर्षों से दखल - कब्जा है परन्तु विज्ञ अधिवक्ता दखल - कब्जा से संबंधित कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में नाकाम रहे।

वादीगणों के द्वारा उपलब्ध कराए गए कारण पृच्छा तथा साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकन के पश्चात पाया गया कि वादीगणों के द्वारा उक्त वाद में वर्णित भूमि से संबंधित

केवल खतियान उपलब्ध कराया गया है, जो कि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। वादीगणों को उक्त गैरमजरूआ खास भूमि किस प्रकार प्राप्त हुई, इससे संबंधित कोई भी साक्ष्य/दावा प्रस्तुत करने में वादीगण असमर्थ रहे।


वादीगणों के नाम से उक्त भूमि का न तो जमाबंदी कायम है न ही उनके द्वारा सरकार को कभी भी कोई भू-राजस्व लगान दिया गया है, जिससे वादगत भूमि पर वादीगणों का कोई दावा नहीं बनता है।


स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा लिखित में दिए गए आवेदन तथा राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन/अंचल अधिकारी, धनवार के द्वारा अलग - अलग तथा संयुक्त स्थलीय जाँच एवं निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि बने हुए मकान के अतिरिक्त शेष वादगत भूमि पर वर्षों से पर्व - त्योहार के अवसर पर मेला लगता है तथा कभी भी भूमि पर वादीगणों का दखल - कब्जा नहीं रहा है।

उक्त तथ्यों तथा उपलब्ध प्रतिवेदन/साक्ष्य/कागजात के आलोक में वादगत भूमि पर वादीगणों के अतिक्रमण की पुष्टि होती है। जिसे अतिक्रमणमुक्त किया जाना आवश्यक है, ताकि वादगत भूमि का सामुदायिक उपयोग बना रहे।

अतः झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत वादगत भूमि यथा अंचल- धनवार अन्तर्गत मौजा- डोरण्डा, थाना नं०- 15 के खाता सं०- 249, प्लॉट नं०- 2552, रकबा- 01.02 ए० भूमि पर अतिक्रमण संरचना हटाने/अतिक्रमण मुक्ति हेतु उपरोक्त वर्णित अतिक्रमणकारियों को Form-II में नोटिस निर्गत करते हुए दिनांक- 28.06.2025 तक अतिक्रमण हटाने का निदेश दें। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा तथा अतिक्रमण हटाने के क्रम में वहन राशि संबंधित अतिक्रमणकारियों से लोक माँग वसूली अधिनियम 1914 के तहत वसूला जाएगा।

लेखापित एवं संशोधित।


अंचल अधिकारी,
धनवार।


अंचल अधिकारी,
धनवार।